JUN 2014

श्रीमति चन्द्रवती पुत्री फूलसिंह ठाकुर
सा. ग्राम लौड़ी जिला छतरपुर म.प्र. ... निगरानीकर्ता

// विरुद्ध //

म.प्र. शासन .. आवेदकगण

(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 2059–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–11–2014	आवेदक अधिवक्ता द्वारा समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के आवेदन पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण कमांक 47/अ–6/स्व. प्रे.निग./2001–02 में पारित आदेश दिनांक 6–2–02 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। 3– अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करने में हुये लगभग 14 वर्ष के विलम्ब का कारण अपर कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर भूमि को शासकीय दर्ज करने का आदेश पारित करना बताया है जो समाधानकारक नहीं है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी अवधिबाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	